न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 17/2021 दर्ज तिथि :– 08.02.2021

1. श्री नन्दलाल पिता नाथुलाल जटिया, आयु वयस्क, निवासी उपरेडा, तहसील भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ ....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़ ....अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री राजेश कुमार खटीक
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथि :– 08.06.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है प्रार्थी की ग्राम बडोली माधोसिंह, पटवार हल्का, बडोली माधोसिंह तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में नवीन खाता संख्या 131 की आ.नं. 1312. रकबा 0.14 हैक्टेयर स्थित है जिसके पुराने आराजी नं. 1216/1123/967 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा थे जो बिलानाम आराजी नम्बर 1123/967 का भाग होकर मूल खातेदार उंकार पिता उदा सालवी निवासी बडोली माधोसिंह को विधिवत रूप से आवंटित हुई थी। आवंटन आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 675 दिनांक 26.09.1989 से उक्त भूमि आवंटी उंकार पिता उदा सालवी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड हुई। उंकार की मृत्यु होने पर जरिये नामान्तरण संख्या 1435 दिनांक 05.02.2010 के माध्यम से उनकी विरासत उनके पुत्र शांतिलाल व नारायण पिता उंकार सालवी सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। इसी प्रकार इन्तकाल संख्या 1448 दिनांक 05.04.2020 से शांतिलाल व नारायण के नाम दर्ज उक्त भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

ता. 05.2.21

● सभी प्रकार के फॉमर्स मिलने का एक मात्र स्थान यतीन्द्र साहित्य सदन, सेशन कोर्ट के सामने, भीलवाड़ा (राज.) ●

Scanned with OKEN Scanner

की गई। उसके उपरांत प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से इसमें से 11 बिस्वा भूमि क्रय की जिसके आ.नं. 1216/1123/967 जरिये इन्तकाल संख्या 1542 दिनांक 20.04.2011 होकर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुई। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को संपरिवर्तित भी करवाया गया। अभी हाल ही में नक्शा ट्रेस लेने पर जानकारी हुई कि प्राथी की भूमि को सेटलमेन्ट अधिकारियों ने गलत जगह तरमीम कर दी है। उक्त भूमि वर्तमान में चारागाह आराजी नं. 802 में दर्शाई गई है जबकि प्रार्थी आरम्भ से ही मूल खातेदारों को आवंटित किये गये स्थल पर ही काबिज है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थी की आराजियात को कब्जे अनुसार आराजी नं. 802 के उत्तरी भाग में अंकित करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का हिस्सा पूर्ववत दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नक्शा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है :

तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने प्रकरण में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया हैं कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 1 में आ.नं. 1312 रकबा 0.14 हैक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ भूमि व आ.नं. 1422/1312 रकबा 0.14 हैक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ भूमि निजी खातेदारी से सम्परिवर्तित भूमि दर्ज रेकार्ड है जो कि जमाबंदी संवत 2069–2072 में खातेदार श्री नन्दलाल पिता नाथूलाल जटिया सा.उपरेडा तहसील भदेसर के नाम दर्ज रेकार्ड आ. नं. 1312 रकबा 0.14 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 से नामान्तरण संख्या 12 दिनांक 21.01.2013 से सम्परिवर्तित आदेश से सम्पूर्ण आराजी आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज की स्वीकृति हुई और इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2069–2072 में खातेदार श्री भगवानलाल पिता फुलचन्द रेगर सा.अरनियामाली के नाम दर्ज रेकार्ड आ.नं. 1422/1312 रकबा 0.14 हैक्टेयर बारानी 3 से नामान्तरण संख्या 11 दिनांक 12.01.2013 से सम्परिवर्तित आदेश से सम्पूर्ण आराजी आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज की स्वीकृति हुई। वर्तमान भू–प्रबन्ध के साबिक आ.नं. व हाल आराजी नम्बर के मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी नम्बर 1312 रकबा 0.28 हैक्टेयर साबिक आ.नं. 1216/1123/967 रकबा 1.02 बीघा के बने हुए है। जिसके विभाजन से दो आराजी 1312 मी. रकबा 0.14 हैक्टेयर व आ.नं. 1422/1312 रकबा 0.14 हैक्टेयर बने हुए है।

[illegible] 1216/1123/967 को गत भू–प्रबन्ध [illegible] दर्शाया गया है। वर्तमान राजस्व तरमीमशुदा रास्ते नजदीक सटा हुआ दक्षिण [illegible] 1422/1322 उसी रास्ते के नक्शे में उक्त साबिक आ.नं. के नवीन नम्बर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

दक्षिण दिशा में रास्ते के नजदीक सटा हुआ ही तरमीम किया हुआ है इस प्रकार साबिक आराजी व नवीन आराजी एक ही स्थान पर नक्शों में दर्शायी गई हैं उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। वादी नन्दलाल पिता नाथुलाल जटिया के वाद कथनानुसार वह मौके पर वर्तमान आ.नं. 802 में स्थित है और यही पर तरमीम करवाना चाहता है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आ.नं. 802 रकबा 2.83 हैक्टेयर भूमि होकर चारागाह दर्ज रिकार्ड है जो कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आ.नं. 553 से बना हुआ है। प्रार्थी श्री नन्दलाल पिता नाथुलाल के नाम दर्ज वर्तमान आ.नं. 1312 रकबा 0.14 हैक्टेयर भूमि, आ.नं. 1293 गै.मु. रास्ते के पूर्वी दिशा की सीमा पर दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है जो कि साबिक नक्शा अनुसार भी सही जगह दर्शाया गया है। प्रार्थी चारागाह आ.नं. 802 में गलत रूप से तरमीम करवाना चाहता है जो साबिक एवं वर्तमान रिकार्ड से साबित नहीं होता है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131 एवं 136 के अन्तर्गत स्वीकार योग्य नहीं है।

4. मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन, मनन किया गया एवं संलग्न प्राप्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी की साबिक आ.नं. 1216/1123/967 एवं वर्तमान आराजी नम्बर 1312 नवीन राजस्व नक्शे में पूर्ववत ही तरमीम की गई है उसमें किसी प्रकार के संशोधन किये हेतु कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 पूर्व रिकॉर्ड से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

8/6/23

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner